मध्यप्रदेश शासन
आनंद विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-F2-3/45 /आनंद/2017/सडसठ भोपाल,दिनांक 14-03-2017

प्रति

कलेक्टर
1. विदिशा, 2. दमोह, 3. अनुपपुर, 4. शाजापुर, 5. जबलपुर,
6. नीमच, 7. अलीराजपुर, 8. पन्ना, 9. झाबुआ, 10. सीहोर,
11. बुरहानपुर 12. बडवानी, 13. छतरपुर, 14. छिंदवाडा, 15. अशोकनगर,
16. खण्डवा, 17. ग्वालियर, 18. मंदसौर, 19. भोपाल, 20. बालाघाट,
मध्यप्रदेश।

विषय:- अल्प विराम कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में ।
संदर्भ:- विभागीय ज्ञाप क्रमांक 48/2016/67 भोपाल दिनांक 27/12/2016

--

शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के व्यवहार और विचारों को और अधिक सकारात्मक करने के लिये "अल्प विराम" कार्यक्रम आपके जिले में आरम्भ किया जाना है। "अल्प विराम" के संबंध में तैयार की गई हैण्डबुक संलग्न है।

2/ "अल्प विराम" कार्यक्रम संचालित करने के लिये प्रत्येक जिले से तीन आनंदकों को "आनन्दम सहयोगी" के रूप में प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लेखित को रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। अब यह आनन्दम सहयोगी जिले में "अल्प विराम" कार्यक्रम का संचालन कर सकते हैं।

3/ अल्प विराम कार्यक्रम दिनांक 20/03/2017 को "विश्व आनन्द दिवस" पर आपके जिले में कलेक्टर कार्यालय से प्रारंभ किया जाना है। कलेक्टर कार्यालय में अल्प विराम कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि अधिकारी/कर्मचारी अल्प विराम कार्यक्रम से जुडें । कलेक्टर कार्यालय में अल्प विराम कार्यक्रम संचालित किए जाने निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्णय कर लें:-

(अ) कलेक्ट्रेट के किस स्थलपर अल्प विराम आयोजित होगा। स्थल का चयन इस प्रकार होना चाहिये कि अल्प विराम में भाग लेने वाले प्रतिभागी बिना किसी शोरगुल व व्यवधान के लगभग एक घण्टा निर्धारित संक्रिया कर सकें।

(ब) अल्प विराम कार्यक्रम आपके कार्यालय में प्रति सप्ताह आयोजित किया जाए।

(स) अल्प विराम कार्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का निर्धरण करें। किसी एक कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपस्थिति स्वप्रेरणा से हो तो बेहतर होगी।

4/ अल्प विराम कार्यक्रम को जिले में आयोजित होने वाले टीएल बैठक से जोडकर न किया जाए।

5/ आपके जिले के प्रशिक्षित आनन्दम सहयोगी जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर भी अल्प विराम संक्रिया संचालित करेंगे। आप उनके साथ परामर्श कर कार्यालयों का चयन कर उनका यथा आवश्यक सहयोग करें।

6/ जिले में अल्प विराम आयोजित होने की जानकारी संबंधित "आनन्दम सहयोगी" दवारा विभागीय वेबसाईट www.anandsansthanmp.in पर दी जाएगी।

7/ कृपया आप अपने जिले के संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार आनंदम सहयोगियों से बिन्दु क्रं. 3 एवं 5 के संबंध में चर्चा कर कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर लेवें।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आनन्द विभाग

पृ.क्र:-F2-3/46 /आनंद/2017/सडसठ भोपाल,दिनांक 14-03-2017

प्रतिलिपि:-

संबंधित जिले के समस्त आनंदम सहयोगी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आनन्द विभाग